न्यायालय–जिलाधिकारी, सहरसा।

आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या – 353/2014
101/2016

पिंकी कुमारी बनाम राज्य

– : आदेश : –

23.1.18 प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपील वाद अपीलार्थी पिंकी कुमारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा के आँगनबाड़ी वाद संख्या–37,39/2013–14 में दिनांक–18.10.2014 को पारित आदेश ज्ञापांक–1406–1, दिनांक–18.10.2014 के विरुद्ध उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के न्यायालय में 253/2014 दाखिल किया गया, जो समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–3226, दिनांक–11.08.2015 में वर्णित संशोधित निदेश कंडिका–10/10.4 तथा 10/10.7 के आलोक में वाद हस्तानान्तरित होकर प्राप्त हुआ है।

प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपील वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा वाद संख्या–37,39/2013–14 में पारित आदेश ज्ञापांक--1406–1/आई.सी.डी.एस., दिनांक–18.10.2014 के विरुद्ध अपीलार्थी पिंकी कुमारी द्वारा दाखिल किया गया।

अपीलार्थी का कहना है कि संबंधित आँगनबाड़ी केन्द्र के गठन हेतु बनाये गये मैपिंग पंजी बिल्कुल गलत था। उक्त केन्द्र का बाहुल्य वर्ग मैपिंग पंजी एवं वार्ड के पोषक क्षेत्र के परिसिमन मतदाता सूची के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जबकि गलत रूप से आम सभा में केन्द्र के पोषक क्षेत्र का वर्ग बाहुल्य पिछड़ा दर्शाया गया। जिसका आपत्ति इनके द्वारा किया गया परन्तु वगैर आपत्ति निराकरण किये हुए विज्ञापन निकाला गया। उक्त केन्द्र हेतु 09 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन दिया गया, जिसके आलोक में मेघा सूची का प्रकाशन किया गया, जिसमें आवेदिका का विकलांगता का 05 वैटेज अंक नहीं जोड़ा गया। इनके द्वारा दिनांक–10.08.2013 को मैपिंग पंजी के विरुद्ध परियोजना कार्यालय में आपत्ति दाखिल किया गया। मैपिंग पंजी में सभी परिवार को सही–सही रूप से गणना करने पर अतिपिछड़ा वर्ग की संख्या–593 है जबकि पिछड़ा वर्ग की संख्या –465 है, बावजूद गलत रूप से वर्ग बाहुल्य पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया। अपीलार्थी का आगे कहना है कि अभ्यर्थी सकिना देवी पिछड़ी जाति की है जो चयन की अहर्त्ता नहीं रखती है तथा उसका शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी गलत है। इनके द्वारा बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना से सूचना के अधिकार द्वारा प्रमाण पत्र का ब्यौरा मांगा गया तब बोर्ड के पत्रांक–3836 दिनांक 02.09.2014 से सकिना देवी कोड–3111, रोल–665, वर्ष–2008, प्राप्तांक–169 फैल है। दिनांक–11.11.2013 को आम सभा का आयोजन हुआ, अपीलार्थी सहित कुल पाँच अभ्यर्थी आम सभा में उपस्थित हुई, जिसमें मेघा सूची के क्रमांक–04 की अभ्यर्थी (प्रतिपक्षी) का चयन की घोषणा अवैध रूप से कर दिया गया। द्वितीय अभ्यर्थी सकिना देवी का शैक्षणिक प्रमाण पत्र गलत है चूँकि उनके विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र पर दर्ज पता उसके पिता के घर का पता नहीं है, उनके पति के घर का पता है, जबकि किसी भी प्रमाण पत्र में पति का नाम नहीं है। अपीलार्थी का आगे कहना है कि मार्गदर्शिका की कंडिका–8.10 के अनुरूप सेविका को अपना कार्य ठीक से करने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें पढ़ने–लिखने, गणित आदि का ज्ञान है, जबकि चयनित अभ्यर्थी प्रतिपक्षी को ठीक–ठाक से पढ़ने–लिखने भी नहीं आता है। मेधा सूची के क्रमांक–3 की अभ्यर्थी कबिता कुमारी की सास जयमाला देवी का चयन उक्त केन्द्र पर सहायिका हेतु किया गया, तथा उसकी चाची शिक्षिका है, जो गाँव में पदस्थापित है। अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को खंडित करते हुए प्रतिपक्षी के चयन को रद्द करने हेतु वाद दायर किया गया है।

प्रतिपक्षी का कहना है कि मार्गदर्शिका के अनुसार इनका चयन आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या–177, ग्राम–डुमरा, ग्राम पंचायत–लगमा, प्रखंड–सोनबर्षा राज के लिए आँगनबाड़ी सेविका के पद पर किया गया। अपीलार्थी द्वारा गैरकानूनी तरीके से दावा किया गया है कि आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या–177 अत्यंत पिछड़ा वर्ग बाहुल्य क्षेत्र है, जबकि सरकारी एजेन्सी के द्वारा प्रकाशित मैपिंग पंजी में पिछड़ा वर्ग बाहुल्य क्षेत्र बताया गया है और प्रतिपक्षी ही एक मात्र अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग की थी, जिस कारण नियोजन हेतु आयोजित ग्राम सभा में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनबर्षा द्वारा इनके नाम की घोषणा की गई।

23.1.18

प्रतिपक्षी का आगे कहना है कि अपीलार्थी द्वारा इनके शिक्षा प्रमाण पत्र के बारे में गलत बताया गया है, चूंकि वर्ष 2008 में ये संस्कृत शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा 344 अंक से पास की तथा वर्ष 2012 में इन्टरमीडिएट की परीक्षा 571 अंक से पास की है, जो सही है। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2011 की कंडिका–8.3 पारा–6 के अनुसार चयन के समय प्रस्तुत शैक्षणिक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आम सभा में उपस्थित नियोजन ईकाई के समक्ष उपस्थापित किया जाना है। जिसके आलोक में मेरे द्वारा सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति नियोजन ईकाई के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तथा नियोजन ईकाई द्वारा सारे कागजातों का सत्यापन के उपरांत ही मेरा चयन किया गया तथा वर्ष 2014 से अभी तक कार्यरत हूँ। अपीलार्थी द्वारा विकलांगता के संबंध में जो दावा किया है, वह विकलांग है परन्तु नियोजन के समय विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा वह आम सभा में अनुपस्थित थी। प्रतिपक्षी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस., सहरसा द्वारा पारित आदेश को जायज व दुरूस्त बताते हुए अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपीलवाद को खारीज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। चूँकि आँगनबाड़ी केन्द्र का पोषक क्षेत्र पिछड़ा वर्ग बाहुल्य है। पिछड़ा वर्ग से सर्वाधिक मेधा अंक प्रतिपक्षी श्रीमती सकिना देवी पति श्री राजो यादव का है तथा अपीलार्थी द्वारा नियोजन के समय नियोजन कमिटी के समक्ष विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं आम सभा में अनुपस्थित थी। अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। मूल अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

23.9.17

जिलाधिकारी,
सहरसा।

23.9.17

जिलाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 1500-2/विधि, सहरसा, दिनांक 26-09-2017.

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
25.09.017 जिला विधि शाखा, सहरसा।